

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग, कोटा

कार्यालय आदेश


निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण / समायोजन कालम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है।

| S.No. | Name | Post | Subject | Present Posting Place | | New Posting Place | | Remark |
|-------|-----------------|-------------------------|----------|---|----------|---|----------|--------|
| | | | | Name Of School | District | Name Of School | District | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GAYTREE GAUTAM | Senior Teacher (II Gr.) | Sanskrit | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALPURIYA (222311),KALPURIYA,KALPURIYA (222311) | BUNDI | GOVT. SECONDARY SCHOOL RAJAT GRAH (227170),BUNDI_WARD NO. 042,NP BUNDI (227170) | BUNDI | |
| 2 | RAMANAND SHARMA | Senior Teacher (II Gr.) | Sanskrit | GOVT. SECONDARY SCHOOL RAJAT GRAH (227170),BUNDI_WARD NO. 042,NP BUNDI (227170) | BUNDI | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALPURIYA (222311),KALPURIYA,KALPURIYA (222311) | BUNDI | TA DA |

उक्त स्थानान्तरण आदेशों में अंकित कार्मिक तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से पूर्व पदस्थापन स्थान से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर लेवे।

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में सीधी भर्ती से पदस्थापित परीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके संबंधित विषय के स्पष्ट रूप से रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर,ब्रेन ट्यूमर/गुर्दा प्रत्यारोपण) / परीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक /लम्ब समय से अनुपस्थित कार्मिक /वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलंबित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वेच्छा से स्थानान्तरित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाने सुनिश्चित करावे।



(सुरेन्द्र सिंह गौड़)


संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा

दिनांक 28.8.2021

क्रमांक :संयु.निदे/स्कूल शिक्षा/को/संस्था-3/स्थानान्तरण/2021/ 1045

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान जयपुर
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर
- शासन उपसचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर
- निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- संबंधित (पीईईओ/यूसीईईओ).....
- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक.....
- रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा